

विषयक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
झाँसी

सेवा में,

प्रबन्धक,

अभिलेखित लेटर 342
पब्लिक स्कूल, मदनगिर, नगर, झाँसी

पत्रांक वे0शि0/मान्यता/ 12425-27 /2002-2003 दिनांक 25-3-03


विषय:- स्थायी मान्यता प्रदान करने के संबंध में-

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पर के संबंध में सूच्य है कि जिला मान्यता समिति की बैठक में लिखित निर्णय के अनुसार आपके विद्यालय को प्राइमरी स्तर की कक्षा 1 से 5 तक स्थायी मान्यता निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है।

1. विद्यालय में स्वीकृत पाठ्य पुस्तकों को ही पढ़ाई जायें।
2. छात्र/छात्राओं से निर्धारित शुल्क लिया जाये।
3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की अनुमति के बिना न तो किसी शिक्षक को रखा जाये और न हटाया जाये।
4. विभागीय आदेशों की अवहेलना करने पर अथवा अनियमितता पाये जाने पर स्थायी मान्यता वापस लेने का अधिकार समिति को सुरक्षित होगा।

भवदीय,


जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
झाँसी

पृष्ठांकन संख्या /वे0शि0/मान्यता/

2002-2003 दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समाज कल्याण अधिकारी, झाँसी।
2. सहायक शिक्षा निदेशक, झाँसी मण्डल झाँसी।
3. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी ब्लॉक झाँसी।
4. नगर शिक्षा अधिकारी, झाँसी / मउरानीपुर।
5. कार्यालय आदेश पत्रावली हेतु।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
झाँसी

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

झाँसी

सेवा में,

प्रबन्धक, सेण्ट उमा पब्लिक जू. हा.

मेमनगा नगा - झाँसी

पत्रांक / बे०शि०प० / 1483-057/2003 - 04 दिनांक 31-5-03

विषय :- अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा (6 से 8 तक) "ब" श्रेणी की मान्यता प्रदान किये जाने की संबंध में -

महोदय,



शासनादेश संख्या 217/25-6-92-10 एस (7) दिनांक 11-5-92 एवं शिक्षा निदेशक (बेसिक) एवं अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के पत्रांक संख्या / सामान्य-5- / 21716-220 / 96-97 दिनांक 12-10-97 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत मण्डलीय उत्तर पर गठित मान्यता समिति के निर्णयानुसार आपके विद्यालय को कक्षा 6 से 8 तक "ब" श्रेणी की मान्यता इस आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रदान की जाती है। प्रत्येक कक्षा हेतु एक वर्ग की अनुमति भी प्रदान की जाती है।

शासनादेश में निहित मानक के अनुसार आपके विद्यालय हेतु निम्नलिखित शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी के पद अनुमन्य होंगे।

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. प्रधानाध्यापक | 1 |
| 2. सहायक अध्यापक | 4 |
| 3. लिपिक | 1 |
| 4. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 1 |

उक्त जनशक्ति में विज्ञान / त्रिभाषा / क्राफ्ट अध्यापक सम्मिलित माने जायेंगे। शासकीय विभागीय आदेश का पालन न करने की स्थिति में मान्यता प्रत्याहरण का अधिकार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद को होगा।

भवदीय


जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
झाँसी 

पृष्ठांकन संख्या बे०शि० /

/ 2003 - 04 दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद।
2. उपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ०प्र० इलाहाबाद।
3. जिला समाज कल्याण अधिकारी, झाँसी।
4. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी,
5. जिला शिक्षा अधिकारी, झाँसी / मऊरानीपुर

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
झाँसी